SHRI VAYALAR RAVI: It is very clear from all those proceedings recorded here. The whole case of the functioning of the Vijaya Bank has been brought forward; and Mr. Unnikrishnan, it is very clear, has quoted from the documents; and he made the Minister concede that new things have come to his notice.

Next day, the newspapers have carried the report given by Samachar. I quote:

> "The Finance Minster, Mr. H. M. Patel, announced in the Lok Sabha today the government's decision to enquire into the working of the Vijaya Bank."

On the second day, there is a correction given. It is also from Samachar. I am making two points. In the correction it is stated:

> "It had been erroneously reported that Mr. Patel announced the Government's decision to enquire into the working of the Vijaya Bank."

Now about the proceedings. In the last paragraph it says:

> "The various points that have been made, the various information which I now possess regarding the Vijaya Bank does convince me and does satisfy me that it is necesssary to go into all the facts relating to the Vijaya Bank. This is what I propose to do."

This is what the hon. Minister said here. The meaning of the word 'probe', according to the dictionary used in Parliament, is simple. 'Probe' means "examine thoroughly". The first report uses the word 'probe'. The second report says that the Minister has said that he will go into all the facts that have come to him.

Who has given this correction? Who was the authority? Who has got the authority to make a correction in the report of what happened in the House? Is it the Speaker or the Deputy Speaker who has the authority, or is it the Secretary? Who made the correction? A report has been made that it was 'erroneously reported'. What is 'erroneous', who has got the authority to correct any report? Was it done by the Minister? If so, the Minister can clarify.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the Minister will take note of this. We cannot debate on this. We are now proceeding with the discussion of the Reports on Scheduled Castes.

16.45 hrs.

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*contd.*

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय कल मैं यह बता रहा था कि हरिजन और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं देश के अन्दर या सरकारी नौकरियों में उन को स्थान नहीं दिए जाते हैं। इसके लिए हिन्दुस्तान की जो वर्ण-व्यवस्था हैं वह अपराधी है । कल मैं ने यह भी बतलाया था कि बिहार के बेलची कांड को लेकर सारे देश में विपक्ष के लोग बहुत जोरों से हंगामा मचाते हैं लेकिन मैं उन से एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा । मैं भी मानता हूं कि बेलची में जो घटना घटी है सामाजिक रूप में हो या जिस किसी भी रूप में हो यह घिनौना काम है । लेकिन सन् 1969–70 में बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले के रूपसपुर गांव में, आदिवासियों के पूरे गांव को घेर कर उसे आग में फूंक दिया गया । किसी तरह से टट्टी तोड़ तोड़ कर वे गरीब जब भाग रहे थे तो उन के बच्चों को पकड़ पकड़ कर आग में में फेंक दिया गया । उस समय ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे ? उसी बिहार के अंदर

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

यह रूपसपुर का कांड कोई मामूली कांड नहीं था । कोई सौ डेढ़ सौ बच्चे उस में मार दिये गए और औरतों के साथ बलात्कार किया गया । फिर उन औरतों को उठा कर आग में फेंक दिया गया । 1969-70 में वहां यह घटना घटी थी। इतना ही नहीं, जिस दिन आपातकालीन स्थिति की घोषणा होती है उसी दिन मधुबनी जिले के मधेपुर थाने के गांव में जो संथाल लोग जमीन जोतते थे उन संथालों के ऊपर संगीन के साथ पुलिस ने हमला किया और रात में उन को मार दिया । उन को औरतों के ऊपर गोली चली, मर्दों के ऊपर गोली चली । यह जिस दिन आपात् कालीन स्थिति लागू हो रही थी उसी दिन की घटना है ।

इसलिए मैं ने साफ कहा कि यह एक सामाजिक प्रश्न है । आज जो लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि हरिजन और आदिवासियों की समस्या का समाधान हो, उन से मैं कहना चाहता हूं कि केवल सरकारी नौकरियों में नहीं, राजनीति में, व्यापार में, पल्टन में सभी जगह जब तक इन आदिवासियों और हरिजनों को आप उचित स्थान नहीं देंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा । सरकारी नौकरी में आप उन को अयोग्य मानते हैं और उस पर भी हरिजनों का नाम लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मनु महाराज ने कानून बनाया था कि छोटे काम के लिए शूद्र पैदा हुए हैं जो जन्म से ही छोटे काम करेंगे । लेकिन आप की सरकारी नौकरी में तीस साल में प्रथम श्रेणी में आप को हरिजन और आदिवासी योग्य नहीं मिले द्वितीय श्रेणी में नहीं मिले तृतीय श्रेणी में नहीं मिले लेकिन चतुर्थ श्रेणी जिस के लिए मनु महाराज ने भी कहा था कि ये इसी काम के लिए पैदा हुए हैं उस में भी आप को हरिजन और आदिवासी योग्य नहीं मिले । मनु महाराज के कानून से भी बढ़ कर नेहरू वंश का कानून बना । मनुसे भी बढ़ कर ब्राह्मणवाद को संरक्षण देने वाला कानून बना जिस में चतुर्थ श्रेणी के अंदर आदिवासी को 3.93 प्रतिशत जगह दी गई । आदिवासियों के लिए आप ने कहा कि साढ़े सात परसेंट जगह मिलनी चाहिए लेकिन चतुर्थ श्रेणी में भी वह नहीं दे सके। जिस के लिए मनु महाराज ने भी उन को योग्य ठहराया था । नेहरू वंश के कानून ने कहा कि नहीं तुम उस के लिए भी अयोग्य हो तुम चतुर्थ श्रेणी में भी लेने लायक नहीं हो । तुम शूद्र भी नहीं हो शूद्र से भी नीचे स्थान पर चले जाओ । और फिर भी आप हरिजन और आदिवासियों का नारा देते हैं, उन का नाम लेते हैं ? आप ने उन के लिए तीस साल में क्या किया ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर से आप वर्ण-व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं जैसा मैं ने कल कहा था हिन्दुस्तान में जाति रोटी से नहीं है हिन्दुस्तान में जाति-व्यवस्था बेटी से है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रान्ति का नारा देने वालों से कि कितने लोग उन में से ऐसे निकले हैं। जो अपनी बेटी की शादी अपने से छोटी जाति में करने के लिए तैयार हुए हों ? नहीं करेंगे । कहेंगे यह छोटा है । बेटी के नाम पर कुल गोत्र का नारा लगाते चलेंगे और यहां हरिजन और आदिवासियों का गुण-गान करेंगे। इस से हरिजन और आदिवासियों की समस्या का समाधान नहीं होगा । यदि आप चाहते हैं कि देश के अंदर से वर्ण-व्यवस्था मिटे तो अन्तर्जातीय विवाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी । एक नारा दिया गया और यह इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि कभी एक नाम पर यहां शासन किया गया कभी दूसरे नाम पर

पंडित नेहरू ने अपनी बेटी का अन्तर्जातीय विवाह किया लेकिन उस के नाम पर हिन्दुस्तान में एक भावना को उभाड़ा गया और उस के नाम पर देश पर शासन किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक कोई उदाहरण बन पाया है ? विवेकानन्द ने जिस सामाजिक क्रांति का उदघोष किया था जिस सामाजिक क्रांति का नारा-दयानंद सरस्वती ने दिया था। और जिस सामाजिक क्रांति का नारा हमारे दूसरे सामाजिक परिवर्त्तन करने वाले लोगों ने दिया था क्या आप उस के लिए तैयार हैं ?

मैं श्री लकप्पा साहब से कहना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों के मार्ग में अगर कोई चीज बाधक है। तो वह इस देश में अंग्रेजी भाषा है। मैं अपने दक्षिण के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा के नाम पर दक्षिण में आप ऊंचा स्थान ले लेते हैं। लेकिन जो भारत का हृदय प्रदेश है। उत्तर भारत, उस में बसने वाले हरिजन आदिवासी अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते हैं। दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी भाषा की मार्फत लोगों को पंडित बनाते हैं लेकिन उत्तर भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्र में बसने वाले हरिजन आदिवासी चूंकि अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसलिए उन की योग्यता कुंठित रहती हैं। अंग्रेजी भाषा के समर्थक जो हमारे दक्षिण भारत के भाई हैं वे अगर इस क्षेत्र के हरिजन आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे उन के दर्द को समझें। जब तक वे उन के दर्द को नहीं समझेंगे तब तक वे कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरा निवेदन है कि वे मेरी बात को गम्भीरता पूर्वक सोचें। कभी तमिल नाडू में श्री सी० राजगोपालाचार्य और श्री कामराज नाडर के बीच झगड़ा हुआ था अंग्रेजी और तमिल का यह झगड़ा था और इस में श्री कामराज नाडर की जीत हुई थी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर आप हरिजन आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं तो इस देश से अंग्रेजी भाषा को हटाना होगा। उन की मातृभाषा के मार्फत ही उनकी योग्यता का मापदण्ड निश्चित होना चाहिए। लेकिन जब तक इस देश में अंग्रेज़ी रहेगी तब तक हरिजन आदिवासी योग्य नहीं बन सकते हैं।

हमारे जो सी० पी० आई० के भाई हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया है जिसको मैं कम्युनिस्ट पार्टी आफ इन्दिरा कहता हूं, उस के भाई हरिजन आदिवासियों का बहुत नाम लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज के प्रसंग में हरिजन आदिवासी कभी तरक्की नहीं करेंगे। जो समान अवसर का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत हरिजन आदिवासी कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इस देश में शंकराचार्य और वेदव्यास से ले कर आज तक लाखों वर्षों के संस्कार बने हुए हैं। दूसरी तरफ हरिजन आदिवासियों से कहा जाता है कि तुम दूसरों के साथ बराबर का मुकाबला करो, प्रतियोगिता में विजयी बनो तभी तुम्हें जगह मिलेगी। इस प्रकार वे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं यह जो समान अवसर का सिद्धांत है वह वास्तव में उन को कुचलने का सिद्धांत है। यदि उन को आगे बढ़ाना है तो उस के लिए उन को विशेष अवसर देने पड़ेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि नौकरी व्यापार, पत्तन तथा हर क्षेत्र में सौ में कम से कम साठ जगहें हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को देनी पड़ेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले तीस साल में कोई भी हरिजन आदिवासी हाईकोर्ट का जज नहीं बना है। बिहार

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

में थोड़े दिनों के लिए शोषित दल की सरकार बनी थी तो पिछड़े वर्ग का एक जज नियुक्त किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय में आज कोई भी हरिजन जज बनकर नहीं बैठा हुआ है। इसी तरह से सरकारी वकीलों में भी कोई हरिजन आदिवासी वकील नहीं बनता। इसी प्रकार बिहार में विश्वविद्यालय की सेवा में कोई हरिजन आदिवासी अध्यापक नहीं बनाया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि पिछले तीस सालों में हरिजन आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। हरिजन आदिवासियों का केवल नारा दिया गया है। नारा देकर केवल वोट बटोरने का काम ही हुआ है।

अगर सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं कि हरिजन आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हो तो सीधी सी बात है कि यह आवश्यक कर दिया जाये कि सरकारी नौकरी में केवल उन्हीं को प्राथमिकता दी जायेगी जो कि अन्तर्जातीय विवाह करेंगे। अगर ऐसा कानून बन जाये और उस को लागू कर दिया जाये तो लोग अन्तर्जातीय विवाह करेंगे और सरकारी नौकरी पायेंगे लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भले ही हम और आप इस तरह की बातें कर लें लेकिन जब इस तरह का कोई प्रगतिशील कानून आयेगा तो उसका विरोध किया जायेगा। अगर सीधे नहीं तो अन्य तरीकों से उसका विरोध किया जायेगा। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल साफ है कि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन का नेतृत्व किस के हाथों में है? कांग्रेस में भले ही श्री चह्वाण, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री कामराज नाडर जैसे नेता थे और हैं लेकिन इस पार्टी का नेतृत्व नेहरू वंश के हाथों में रहा। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह नेतृत्व किसके हाथों में रहना चाहिए? दूसरे जो दल हैं, वे ऊंची जातियों के हाथ में हैं, उन के हाथ में नेतृत्व रहता है, इसलिये राजनीति में इन को निश्चित स्थान देना होगा, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो कार्य-समिति बनती है, राष्ट्रीय समिति बनती है, प्रान्तीय समिति बनती है, ग्राम समिति बनती है, उन तमाम कमेटियों में हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को कम से कम 100 में से 60 स्थान देना होगा, 60 स्थान उन के लिए सुरक्षित करो, उन को बहुमत दो।

16.55 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*].

जिस समय में बिहार विधान सभा का सदस्य था, मैंने दिल्ली नहीं देखी थी, एक बार घूमते-घूमते दिल्ली आया। लोक-सभा के अहाते में मैंने एक मूर्ति देखी, वह मूर्ति थी—डा० अम्बेदकर की। मैंने अपने साथियों से पूछा—बतलाओ, यह मूर्ति क्या कह रही है? उन लोगों ने कहा—तुम ही ज़रा सोचकर बतलाओ। मैंने कहा—देखो, इस मूर्ति की अंगुली लोक सभा की तरफ़ उठी है, हाथ में संविधान की किताब है। यह मूर्ति कह रही है—ऐ हिन्दुस्तान के हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, शोषित वर्ग के लोगों, अल्पसंख्यकों, अगर तुम चाहते हो कि देश में तुम्हारे लिये कुछ हो, तो संविधान की किताब में तुम्हारे लिये सब कुछ लिख कर जा रहा हूं, लेकिन जब तक इस लोक सभा पर तुम्हारा कब्जा नहीं होगा, तब तक यह संविधान की किताब बिलकुल बेकार है, निकम्मी है, इस से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिये लोक सभा पर कब्ज़ा करो, लोक सभा पर कब्जे का मतलब है, सरकार पर कब्जा करो और जब सरकार पर कब्जा करोगे तब कानून तुम्हारे हित में होगा। दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, बकरी का चरावाहा बाघ नहीं हो सकता है।

नौकरी में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका यह संस्कार रहा है कि उन्होंने हमको सदैव अयोग्य समझा है, । जब नौकरी में जाते हैं तो अन्य लोगों को छांट दिया जाता है, हरिजन और आदिवासियों को जीवन में बार-बार परीक्षा देनी पड़ती है , फिर भी उन को अवसर नहीं मिलता है । लेकिन जो जन्म से ऊंचे खानदान में पैदा होते हैं, उन को जन्म से ही ऊंचा माना जाता है और हर अवसर उन के लिए उपलब्ध होते हैं। इसलिये यदि देश को मज़बूत बनाना चाहते हो, देश की तरक्की चाहते हो तो अन्तर्जातीय विवाह को चालू करना पड़ेगा, अन्तर्जातीय विवाह का कानून बनाना होगा, सरकारी नौकरी के लिए अन्तर्जातीय विवाह आवश्यक होना चाहिए । ऐसा कानून बनाने से वर्ण व्यवस्था का नाश होगा, जातीयता मिटेगी, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा ।

मैं पूछना चाहता हूं—इन हरिजन, आदिवासी, दबे हुए लोगों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? "खेती, नौकरी, और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार" हर परिवार के एक आदमी को एक काम मिलेगा— इस काम से ही हरिजन और आदिवासियों की समस्या का समाधान होगा । आज कुर्सी पर कौन बैठे हैं—हज़ार बीघ ज़मीन जोतने वाले बैठे हैं —उन्हीं का बेटा कलैक्टर बनता है , एस० पी० बनता है, उसी के नाती पोते एम० पी० बनते हैं, मंत्री बनते हैं। बाप-बेटा वर्ण के नाम पर राज्य उठा रहे हैं ।

"बाप-बेटा दलाल, बैल का दाम बारह आना" बैल की कीमत कौन लगायेगा? क्या ये निहित स्वार्थ वाले लगायेंगे ? आज ऊंची जातियां राजनीतिक दृष्टिकोण से मज़बूत हैं, सम्पत्ति के दृष्टिकोण से मजबूत है— ऐसी जातियों के हाथों में हिन्दुस्तान की सत्ता केन्द्रित हो गई है । जब तक इन जातियों के हाथों में तमाम सत्ता केन्द्रित रहेगी, गरीब हरिजन और आदिवासी को इन्साफ़ मिलने वाला नहीं है । उन का भला होने वाला नहीं हैं । ऐसी जातियों के हाथों में सत्ता को छीन कर छोटी जाति के हाथों में सत्ता को देना होगा। उन को अधिकार देना होगा , तब कहीं जा कर उन का मन मज़बूत होगा । यह पिछले तीस वर्षों का कोढ़ नहीं है, हज़ारों वर्षों का कोढ़ है । इस का निदान कोई साधारण निदान नहीं है । आप हरिजनों और आदिवासियों के नारे लगाते हैं । नारे से काम चलने वाला नहीं है, यह तो राजनीतिक स्टंट बन गया है । यदि आप इन के लिये कुछ करना चाहते हैं, यदि आप के दिल में इन के लिये कुछ दर्द है तो कुछ रचनात्मक काम कीजिये। महात्मा गांधी ने कुछ रचनात्मक काम सुझाये थे, लेकिन क्या गांधी के दर्शन को इस देश ने माना है ? इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है —जब कोई नेता पैदा होता है, तो उसकी आरती उतारते हैं, उस की पूजा करते हैं, उस को माला पहनाते हैं, लेकिन उस के मरने के बाद उस का भजन करना ही हमारा काम हो जाता है, उस के सिद्धान्तों का मानना और उन पर चलना हमारा काम नहीं रह जाता है । यह इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है, हम केवल नारा लगाना जानते हैं — महात्मा गांधी की जय, सुभाष चन्द्र बोस की जय, स्वामी विवेकानन्द की जय लेकिन उन महा-पुरुषों के पद चिह्नों पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोतम राम ने भी वशिष्ट के कहने पर तप करते हुए शम्भूक का बध कर दिया था । लेकिन द्वापर में मर्यादा पुरुषोतम न कहलाते हुए भी कृष्ण ने छोटे लोगों से दोस्ती की और दिल्ली की गद्दी पर प्रहार कर के महाभारत का युद्ध रच दिया था । यह इस बात को

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

साबित करता कि —यदि देश की तरक्की चाहते हो, यदि हिन्दुस्तान का उत्थान चाहते हो, तो इन हरिजनों के लिये, आदिवासियों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये, महिलाओं के लिये, हिन्दुस्तान के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिये खेती में, व्यापार में, पलटन में, राजनीति में, कम से कम 100 में से 60 स्थान सुरक्षित करें। मंत्रिमंडल में 100 में से 60 जगहें उन्हें देनी होंगी चाहे कांग्रेस का मंत्रिमंडल हो और चाहे आप का।

17.00 hrs.

आज मंत्रिमंडल में एक भी आदिवासी नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 30 साल के इस कांग्रेस शासन में क्या एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो आदिवासी मंत्री बनने लायक हो एक भी हरिजन मंत्री बनने लायक आदमी नहीं मिला। यह सही है कि श्री जगजीवन राम मंत्री थे कांग्रेस के मंत्रि-मंडल में लेकिन गांव में एक कहावत है ?"वही घोड़ा लदनी वही घोड़ा चढ़नी वहा ही घोड़ा सब जगह भेजनी"। जगजीवन राम जी को कांग्रेस शासन में मंत्री बना दिया गया और पार्टी का प्रैसीडेंट बनाना था तो उन को बना दिया और जहां भी कोई जगह हुई वहां जगजीवन राम जी को भेज दिया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस तीस साल के शासन में कुछ भी हरिजनों और आदिवासियों के लिये नहीं किया गया। जब कांग्रेस का बटवारा हुआ तो जगजीवन राम जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया ताकि उन के नाम पर हरिजनों के वोट ले सकें। मैं कहना चाहता हूं कि जगजीवनराम जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन को मैं हरिजन नहीं मानता। इन 30 सालों के अन्दर एक भी हरिजन का बेटा आप ने तैयार नहीं किया जो हिन्दुस्तान की सरकार में आ सके एक भी आदिवासी का बेटा तैयार नहीं किया जो हिन्दुस्तान के मंत्रीमंडल में सम्मिलित हो सके। इस रोग का निदान करना होगा केवल नारा मत लगाओ। मैं तो यह चाहता था कि चौधरी चरण सिंह जी इस सदन में इसी सत्र में एक अन्तर्जातीय विवाह कानून बनाते और एक आदमी एक रोजगार का कानून बनाते। तब कहीं जा कर इस समस्या का समाधान होगा। नौकरी के लिये अन्तर्जातीय विवाह को आवश्यक कर दिया जाए, तो समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह जाति व्यवस्था, यह वर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक कोई परिवर्तन देश में होने वाला नहीं है भले ही हम चाहे जितने नारे लगाएं कि हम हरिजनों और आदिवासियों का भला करना चाहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था के रोग को हिन्दुस्तान से मिटाना होगा जिस ने हजारों सालों से लोगों को गुलाम बना रखा है। इस वर्ण व्यवस्था को तोड़कर ही हरिजनों और आदिवासियों का भला हो सकता है। यही मेरा कहना है।

मैं ने सदन के सामने कुछ अपने विचार रखे हैं और जिन बातों पर मैं ने बल दिया है उस के लिए गृह मंत्री जी कानून बनाएं और इस देश से वर्ण-व्यवस्था को मटियामेट कर दें ताकि हजारों वर्ष का यह कोढ़ हिन्दुस्तान से खत्म हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आप बड़ा अच्छा भाषण करते हैं लेकिन फालो करना मुश्किल होगा क्योंकि आप बहुत तेज बोलते हैं। स्पीड थोड़ी कम कीजिए।

श्रीमती पार्वती देवी (लद्दाख) : सभापति महोदय मैं आज इस सदन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमीशनर की साल 1970 से 1974 तक की रिपोर्टों पर कुछ अल्फाज में अपनी राय जाहिर करने के लिये खड़ी हूं। पिछले दो तीन दिनों से अनेक सदस्यों ने

इस रिपोर्ट में पर अपने विचार जाहिर किये। जात-पात के नाम पर जो अत्याचार हरिजनों के साथ आज तक होता रहा और अब भी हो रहा है उस का जिक्र मुझ से पहले के वक्ताओं ने विस्तार में किया है । मैं इस बारे में अधिक न बोलते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि हम सभी को मिल कर इन समस्याओं पर विचार कर के इस के समाधान का रास्ता तलाश करना चाहिए ताकि भारत पर लगे इस दाग़ को हम हमेशा के लिये धो सकें।

मैंने इन रिपोर्ट्स में अपनी कांस्टिट्युएंसी का नाम ढूढने की बड़ी कोशिश की लेकिन दुख की बात कि लद्दाख का उन में किसी जगह या किसी सन्दर्भ में भी नाम नहीं मिला। लद्दाख को शैड्यूल्ड एरिया तथा लद्दाख निवासियों को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ घोषित करने की मांग आज से तकरीबन बीस वर्ष पहले से हुई है। जब लद्दाख को सन् 1967 में पहली बार इस सदन में नुमाइंदगी मिली तब से कई बार इन मांगों को इस सदन में हमारे भूतपूर्व सदस्य कुशक बकुला जी ने रखा। मैंने सोचा कि शायद किसी का ध्यान इस तरफ भी गया होगा और कमीशन की इस रिपोर्ट में कहीं न कहीं इस बात का जिक्र होगा । परन्तु अफसोस की बात है कि लद्दाख का जिक्र कहीं भी नहीं मिला । 1960–61 के ढेवर कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसी इलाके को शैड्यूल्ड एरिया घोषित करने के लिए जिन बातों का होना जरूरी बताया गया है वे सभी लद्दाख पूरी करता है । लेकिन इस के बावजूद इस ओर किसी ने गौर करने की तकलीफ नहीं की ।

सन् 1972–73 की रिपोर्ट में नौमेडीक और सैमी-नोमेडीक ट्राइब्ज़ का जिक्र आया है जिस को कुछ सुझावों के साथ 1973–74 की रिपोर्ट में शामिल किया गया है । मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू व काश्मीर के गूजर और बकरवाल को इस ट्राइब में शामिल किया गया है लेकिन दुख की बात है कि यहां पर भी लद्दाख के साथ ना-इंसाफी हुई है। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि लद्दाख के चांग-थांग इलाके में भी एक ऐसे ही खाना बदोश निवासी मौजूद हैं जिन को चांगपा के नाम से जाना जाता है । इन में से अधिकतर लोगों की जीविका का साधन भेड़ बकरियों को पालना है और चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना है और यह उसी तरह से है जिस तरह से काश्मीर और हिमाचल के गूजर और बकरवाल । लेकिन इन चांगपाओं को नोमेडीक ट्राइब्स भी तस्लीम नहीं किया गया है । मैंने सुना है कि काश्मीर के गूजर और बकरवाल को शैड्यूल्ड ट्राइब घोषित किए जाने की बात चल रही है और राज्य सरकार ने भी उसका समर्थन किया है । यदि गूजर और बकरवाल को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ घोषित किया जा सकता है तो लद्दाख के चांगपा और डोकपा ट्राइब्ज़ ने क्या गुनाह किया है कि जोकि उन को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के फायदों से महरूम रखा जाए। मैं गूजर और बकरवाल को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ बनाए जाने के खिलाफ नहीं हूं बल्कि मैं इस का पुरजोर समर्थन करती हूं लेकिन मेरा यह विचार कि लद्दाखियों को भी शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ घोषित किया जाना चाहिए ताकि लद्दाख के लोगों को भी खास कर वहां के विद्यार्थियों को भी ऊपर उठने का मौका मिले । हालांकि लद्दाख को जम्मू काश्मीर का तीसरा रिजन माना जाता है परन्तु हर लिहाज़ से लद्दाख रियासत के बाकी दो रीजंस से बहुत ही अधिक पिछड़ा है । आई० ए० एस० में अब तक लद्दाख का

[श्रीमती पार्वती देवी]

एक ही लड़का आ पाया है। रियासत में क्लास वन अफसरों में मुश्किल से तीन या चार लद्दाखी हैं। रियासत के सैक्रेटेरिएट में तीन या चार लद्दाखी हैं जिन में क्लास चार के मुलाजिम शामिल हैं। रियासत के टेक्नीकल कालेजों में लद्दाखियों के लिए सिर्फ दो फीसदी सीटें रिजर्व हैं और सर्विसेज में भी दो फी सदी रिजर्वेशन है लेकिन अब तक शायद ही उस पर अमल हुआ है।

मैंने पहले ढेबर कमिशन की रिपोर्ट का जिक्र किया है जिस के मुताबिक किसी इलाके को शैड्यूल्ड एरिया घोषित करने के लिए कम से कम चार आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी बताया गया है।

(1) उस इलाके के निवासियों में ज्यादा तादाद में ट्राइबल्ज का होना,

(2) वह इलाका उचित क्षेत्र का होना चाहिये,

(3) उस इलाके का तरक्की के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ होना, और

(4) उस इलाके के लोगों की और उस रियासत के बाकी हिस्सों के लोगों की आर्थिक दशा में काफी अन्तर का पाया जाना।

ढेबर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक यदि यह चार आवश्यकतायें किसी इलाके में पायी जायें तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के पांचवें शेड्यूल के अन्तर्गत उस इलाके को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। लेकिन लद्दाखियों की बदकिस्मती यह रही है कि हमारे काश्मीर राज्य के साथ होने के कारण भारतीय संविधान का यह शैड्यूल वहां पर लागू नहीं है। इस के लिए या तो जम्मू काश्मीर के संविधान में संशोधन करनी पड़ेगी या नहीं तो राष्ट्रपति को काश्मीर सरकार की सहमति लेनी होगी। हमारी यही बदकिस्मती है कि जब भी किसी बात को, जिस से लद्दाख को फायदा हो, यदि केन्द्रीय सरकार से माना तो राज्य सरकार ने उस में अड़चनें पैदा कीं और जब किसी बात के लिए राज्य सरकार को सहमति हो तो केन्द्रीय सरकार ने उस से इन्कार किया। हम लोगों ने यह महसूस किया कि लद्दाख के काज को जम्मू व काश्मीर के काज के लिये हमेशा कुर्बान किया जाता रहा। जैसा कि लद्दाख में वक्त वक्त पर तरह तरह की मांगों को लेकर आन्दोलन छेड़ा गया जिस में से कुछ जायज मांगें भी थीं जिनको केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ इसलिए ठुकराया कि क्योंकि उस से काश्मीर के शासक नाराज हो सकते थे। यदि इसी तरह का सलूक लद्दाख के साथ चलता रहा तो हमारा भविष्य ठीक नहीं हो सकता है। और उस महत्वपूर्ण सीमान्त प्रदेश में असन्तोष फैल जायेगा।

केन्द्रीय सरकार से मेरा यह पुरजोर अनुरोध है कि लद्दाख को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करवायें। जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूं कि जिन चार आवश्यकताओं का शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने के लिये होना जरूरी है वह सभी लद्दाख पूरा करता है। यदि जरूरी हो तो काश्मीर को अपने संविधान में संशोधन करने के लिये कहा जावे ताकि लद्दाख को शैड्यूल्ड एरिया घोषित किया जा सके, या नहीं तो राज्य सरकार इस बात के लिये अपनी सहमति दे दे जिससे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति को संविधान के पांचवें शैड्यूल के अन्तर्गत लद्दाख को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अनुरोध कर सके। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी और इस बारे में जल्दी कोई कदम उठायेगी ताकि लद्दाख

के लोग भी यह महसूस करें कि उनको भी भारत के बाकी हिस्सों की तरह तरक्की करने का बराबर का मौका दिया जा रहा है।

श्री बी० तुलसीराम (पद्दापल्लि) : सभापति जी, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं। उस रिपोर्ट का सारांश अगर निकाला जाये तो उसमें सर्विस में और विद्या में जो परसेंटेज मिला है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो देखते हैं तो उसमें कोई ज्यादा नहीं मिला। जितना मिलना चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम है। देश भर में शेड्यूल्ड कास्ट्स के केवल 14 परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, और 86 परसेंट पढ़े-लिखे नहीं हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के शायद 11 परसेंट लोग पढ़े-लिखे हैं, और 89 परसेंट पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस लिए सरकार को इन लोगों की शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए।

कई मित्रों ने अन्तर्जातीय विवाह जैसी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जिन मेम्बरों ने यह बात कही है, उन्हीं से पूछा जाये कि क्या वे अपने लड़के या लड़की की शादी किसी शेड्यूल्ड कास्ट परिवार में करने के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन पर अमल न करने की वजह से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट इन लोगों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे और उन्हें ऊपर उठाने के लिए उचित सुविधायें दे।

सर्विसिज में आफिसर्ज के लेवल पर जो गलतियां होती हैं उन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक क्लास फोर का सम्बन्ध है, दूसरे लोग तो वह काम कर नहीं सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ही वह काम करने के काबिल हैं, ऐसा समझ कर क्लास फोर में उन्हें ले लिया जाता है। लेकिन क्लास वन, टू और थ्री में उन का परसेंटेज बहुत ही कम है। क्लास वन में तो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है।

अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोई कैंडीडेट आई० ए० एस० की परीक्षा पास करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन या सिलेक्शन कमेटी के सामने जाता है, तो वहां बड़े बड़े अफसर उस से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप के पिता जी कोई कलेक्टर या बड़े अफसर हैं, आप घर में क्या खाते हैं, आप का क्या रवैया है, आदि। कैंडीडेट का आधा दम तो वहीं निकल जाता है। हम ने देखा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के कई लड़कों ने अपनी जाति नहीं बताई, और जेनेरल काम्पीटीशन में बैठ कर वे सिलेक्ट हो गए और नौकरी में हैं। तथ्य यह है कि शेडयूल्ड कास्ट के नाम से लोग झिझकते हैं, दूर भागते हैं। अगर कोई व्यक्ति टीचर नियुक्त हो कर गांव में जाता है, तो उस को रहने के लिए मकान नहीं मिलता है। अगर कोई मित्र उसे मकान दे भी देता है, तो बाद में यह मालूम पड़ने पर कि वह हरिजन है, उस को हटाने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। यह बात रिपोर्ट में कही गई है।

मैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की कमेटी में था। मैं उसके सदस्य के रूप में घूम रहा था तो मैंने देखा बहुत सी जगहों पर उनके रिजर्वेशन के कोटे पर अमल नहीं हो रहा है। जब शेड्यूल्ड कास्ट के लड़कों या लड़कियों को रिजर्व्ड सीट पर एप्वाइंटमेंट के लिए बुलाते हैं तो इंटरव्यू में वैसे ही फेल कर देते हैं और दो

[श्री बी० तुलसीराम]

तीन बार बुलाने के बाद जनरल सीट में उस को बदल देते हैं यह कह कर कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई काबिल कैंडीडेट नहीं मिल रहा हैं । फिर वह जनरल कैंडीडेट उस सीट पर लेने के लिए परमीशन मांगते हैं और वह परमीशन ऊपर वाले दे देते हैं । इस के अलावा शेड्यूल्ड कास्ट की सीट पर दूसरे जनरल लोग सर्टिफिकेट ले कर एप्वाइंट हो जाते हैं । ऐसा कई जगह पर है । मैं चरण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि इस की इन्क्वायरी आप करायें। बहुत से लोग शेड्यूल्ड कास्ट के झूठे सर्टिफिकेट ले कर उन के नाम पर नौकरियों में लगे हुए हैं जिस के लिए आफिसर्स खुद उन को एडवाइस करते हैं कि यहां सीट है, आप शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट कहीं से ले कर आइए जिस से हम आपका एप्वाइंटमेंट इस जगह पर कर दें । तो ऐसे कई लोग सर्टिफिकेट ले कर नौकरियों में, मेडिकल कालेजेज में और बाहर जाने की जो स्कालरशिप मिलती है उस में भी चले गए हैं । कई ऐसे केसेज मेरे नोटिस में आए हैं। मैं ठीक तरह से इस चीज को कन्फर्म नहीं कर पाया हूं लेकिन ऐसा है ही और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस की भी एन्क्वायरी करायें ।

मैं जब कमेटी के साथ घूम रहा था उस वक्त की एक मिसाल देना चाहूंगा । हैदराबाद में सिंडीकेट बैंक में जब मीटिंग हुई और हम वहां गए तो उन लोगों ने कहा कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में हम ने दो आदमी रखे हैं एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का । उस पूरी कमेटी में मैं ही एक आदमी था जो उन में से एक को जानता था । दूसरे को तो मैं जानता नहीं था कि वह शेड्यूल्ड कास्ट का या किस कास्ट का था । उस कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर रिछाया जब उन लोगों ने कहा कि इस में एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब का डायरेक्टर है तो मैंने कहा कि किस को शेड्यूल्ड ट्राइब का आप कहते हैं ? तो उन्होंने जिस को मैं जानता था उसी को बताया कि वह शेड्यूल्ड ट्राइब का है और यह उसने लिख कर भी दिया था । तो मैंने कहा कि यह शेड्यूल्ड ट्राइब का तो हैं नहीं । तो इस तरह से वे लोग गुमराह करते हैं । कह दिया कि हम ने एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब का डायरेक्टर रखा है । इसी तरह जहां भी हम कमेटियों में गए हम ने देखा कि जो रिजर्वेशन का कोटा है वह पूरा नहीं किया गया है । हम ने कई अंडरटेकिंग्स में और गवर्नमेंट के आफिसेज में देखा, गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उन पर वे लोग अमल नहीं करते हैं । कमेटी की तरफ से जब पूछा जाता है तो वे यह कह देते हैं कि आगे से जितना अभी लिया है उस का डबल ले लेंगे और इस को पूरा करेंगे । लेकिन जब फिर वहां पर कमेटी गई तो देखा न पुराना लिया न नया, न पिछला लिया और न आगे का लिया । जैसा पहले था वैसा ही रहा । वे यह जानते हैं कि कमेटी भी बदल जाती है और मेम्बर भी बदल जाते हैं । आफिसर भी देखते हैं कि यह कमेटी तो चली जायेगी, फिर दूसरी आएगी । इसलिए वे मेम्बरों को और कमेटी को गुमराह कर देते है । मेडिकल कालेजों में भी इसी तरह की बातें होती हैं जिस के बारे में मैंने पहले अर्ज किया ।

अब मैं एक जगह का और बताना चाहता हूं जिस के बारे में इस रिपोर्ट में हैं । उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के निकट कोई एक गांव है, वहां एक हरिजन लड़के को रस्सी से बांध कर ऊपर

लटकाया गया और नीचे से आग लगा कर जैसे चिकेन को फ्राइ करते हैं ऐसे ही उसे फ्राइ किया गया । यह आपकी रिपोर्ट में है । बिहार के सहरसा जिले के एक गांव में—यह भी रिपोर्ट में है—चार हरिजन महिलाओं को नंगा करके सारे गांव के सामने, जहां छोटे, बड़े और बच्चे खड़े थे, लोहे की सलाख लेकर, उसको गर्म करके उनके जिस्म को जलाया गया । इस तरह के अत्याचार करके उनके साथ अन्याय हुआ है और हो रहा है । यह एक मिसाल है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया तथा राज्यों के मुख्य मंत्री इस तरह के अत्याचारों को मिटाने में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं । जो पिछली सरकार थी उसने भी इस सम्बन्ध में कुछ किया था ।

सभापति जी, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं वे एक स्टेटमेंट देते हैं जोकि "नवभारत टाइम्स" में छपा है उसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं । यह गए महीने की 31 तारीख का है :

"उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव ने राज्य में हरिजनों पर अत्याचार के समाचारों का जोरदार खण्डन करते हुए कहा कि नवगठित जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रपंच रचा है । उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मामले जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने से पूर्व घटे थे ।"

यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं । यू पी के अलावा सारे देश में इस प्रकार की कई घटनायें घटी हैं लेकिन चूंकि यू० पी० के मुख्य मंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है इसलिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । 28 तारीख के अखबार में यह छपा है :

"गोली से हरिजन युवक की हत्या

प्रतापगढ़, कोतवाली थाना के अन्तर्गत रामपुर मुस्तरका गांव में गत सोमवार को उच्च वर्ण के कुछ लोगों ने एक हरिजन युवक की गोली मारकर हत्या कर दी तथा उसके दो भाइयों को घायल कर दिया ।"

इसी प्रकार से सभापति महोदय, मैं और भी उदाहरण देना चाहता हूं :—

"हरिजनों की भूमि छीनी"

ग्राम बहसूमा , परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना, जिला मेरठ में कुछ हरिजनों को कुछ समय पहले आंवटन में भूमि दी गई थी लेकिन अभी तक संबंधित अधिकारियों ने उसकी पैमाइश नहीं की और न ही उसका कब्जा दिया । कुछ आंवटियों के पट्टे भी वापिस लेकर पट्टे रद्द करने की घोषणा कर दी गई . . .

सभापति महोदय : आप कितना टाइम लेंगे ?

श्री बी० तुलसी राम : मैं समाप्त करता हूं ।

"16 हरिजन परिवार

ग्राम आदीपुर गवड़ी, तहसील मवाना, डाकखाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ के कुछ हरिजनों को पिछली सरकार ने 5-5 बीघे जमीन दी थी जिनमें से कुछ पट्टे दिए जाने पर हमें जमीन का कब्जा मिल गया तथा अब हमारी जमीन छीन ली गई हैं तथा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है । हमारा गांव में आना-जाना दूभर हो गया है ।" इस तरह के जो उन के स्टेटमैंट्स हैं—मैं चाहता हूं कि इन के बारे में सोचना चाहिए । चरण सिंह जी को सोचना चाहिए, वे भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इस तरह की भावना रखने वाले कितने दिनों तक रह सकते हैं . . . . .

सभापति महोदय : आप कल बोलियेगा अब हम हाफ-एन-आवर डिस्कशन शुरू करेंगे।

17.30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

CLOSURE OF RICE MILLS IN KALAHANDI, ORISSA

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): It is the compulsion of my conscience and the determination of the Janata Government to root out corruption by accepting the principle of my non-official Lokpal Bill and the assurance given to this House by the hon. Home Minister that the Government Lok-pal Bill will find its place in the statute Book of the country, has emboldened me to bring to the notice of the House and focus to the world a stinking skeleton in the cupboard in my District, the nefarious activities of some rice mill owners, stockists and purchasing agents who have been playing with the life of the people.

Kalahandi District is the second surplus District in the State of Orissa so far as the procurement of rice is concerned. This district witnessed two worst famines of the century—one in 1965 and another in 1974. No doubt, there was drought, but the intensity of the situation was aggravated by the faulty procurement policy and the activities of the unscrupulous sick mill owners. So, I would call it a man-made famine. They owe to the tune of Rs. 2.41 crores—Rs. 1.69 crores to the Orissa Government and Rs. 71 lakhs to the Food Corporation of India in which Sr. Iqbal Singh was the Chairman. He has been sacked, we all know about it. There was discussion in the House. Some of the defaulters are—

		To the State Govt.	F.C.I.
1.	Shri Ramavtar Agrawala Walcot of Junagarh	Rs. 35,64,000 & odd	Rs. 3 lakh & odd
2.	Shri Krisanlal Agarwala Walcot of Kesinga	Rs. 16,21,000 & odd	
3.	Seri Kihsan Raj	Rs. 30,75,000 & odd	
4.	Shri Kishore Bhanu	Rs. 9,00,000	
5.	Shri Ram Bhagat Agarwala	Rs. 34,71,000	
6.	Shri Prahalad Rai Agarwala	Rs. 21,82,000	

In all there are 32 sharks who have been caught in the net. They are the established adulterators, hoarders, black marketeers, smugglers and social offenders. They have been smuggling rice from the surplus Kalahandi to the Raipur District where there is a big industrial complex at Bhilai. This is at the border of the Western Food Zone and Kalahandi is in the Eastern Food Zone. By smuggling, they have been minting money all these years. All along they have remained the blue-eyed boys of the government whichever party came to power. They were in the undivided Congress, then by the Swatantra Party and when the Supply portfolio was taken by the Janata—Congress they became members of the Janata—Congress, then, Utkal Congress, then Indira Congress and now, they are the members of the Janata Party. They have not only corrupted the government from top to bottom, but even officials of the Supply Department of the Government of Orissa are in their payrolls. Even a petty civil supplies officer or inspectors' marriage functions are attended by them with costly presents. There is one infamous "MAMU" or mama whose